

245

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1

संख्या:- 85 /ix-1/2016/33/2013
देहरादून दिनांक:- 31 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे परिवहन यानों, जो उक्त नियम के उपनियम (1) के विनिर्दिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और जिन्हें उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 को या उससे पूर्व उनके प्रचालकों द्वारा ऐसे गति नियन्त्रक या गति सीमित करने के कृत्य से जो समय-समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 018/2001 मानक के अनुसार हों, विद्यमान अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को अधिकमित करते हुए, सुसज्जित करने हेतु अधिसूचित करते हैं-

1. उपरोक्तानुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर अधिकतम 80 कि0मी0 प्रति घण्टा पूर्व नियत गति सीमा वाला नियन्त्रक लगाया जाएगा।
2. उपरोक्तानुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यानों और अन्य परिवहन यानों जैसे-डम्पर, टैंकर, स्कूल बस, सिटी बस, पर अधिकतम 60 कि0मी0 प्रति घण्टा पूर्व नियत गति सीमा वाला नियन्त्रक लगाया जाएगा।
3. उपरोक्त प्राविधान ऐसे परिवहन यानों पर लागू नहीं होंगे, जिन पर पहले से गति नियन्त्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की प्रक्रिया) लगा हो।
4. इलैक्ट्रॉनिक नियन्त्रक इकाई के माध्यम से गति को नियन्त्रित करने वाले गति नियन्त्रक से भिन्न गति नियन्त्रक को उत्तराखण्ड परिवहन के सम्भागीय निरीक्षक के मुहर द्वारा मोहरबन्द/मुद्रित किया जायेगा।
5. गति नियन्त्रक से सुसज्जित यान को किसी भी दशा में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-52/ix/424/2009 दिनांक 30 जनवरी 2009 अथवा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित/निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर नहीं चलाया जायेगा।

6. गति नियंत्रक के विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी एक प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी से ए0आई0एस0:018/2001 मानकों को पूरा करने का टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
7. गति नियंत्रक विनिर्माता या डीलर उसको किसी परिवहन यान में लगाते समय गति नियंत्रक पर यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को उभरे या खुदे रूप में अंकित करेगा ताकि उसका उपयोग किसी अन्य परिवहन यान में न हो सके।
8. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबन्धों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा निर्गत टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र के आधार पर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित प्रकार का गति नियंत्रक ही लगाया जायेगा।
9. गति नियंत्रक/उसके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर कम्पनी होलोग्राम के साथ संस्थापन प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह की दस तारीख से पहले सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।
10. प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्ट मेक/माडल/वैरियंट के गति नियंत्रक का विशिष्ट मेक/माडल/वैरियंट यान में संस्थापन के पश्चात गति नियंत्रक को सील द्वारा परिवहन विभाग उत्तराखण्ड की अधिकारिक सील से सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।
11. गति नियंत्रक में कोई मरम्मत का कार्य जिसे सील में छेड़छाड़ किये बिना करना सम्भव न हो, करने के लिये सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से पूर्व में लिखित अनुमति ली जायेगी। मरम्मत का अपेक्षित कार्य करने के उपरान्त गति नियंत्रक को यान स्वामी द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह समय समय पर यथासंशोधित ए0आई0एस0:018/2001 मानक के अनुरूप हो और उसे सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक के द्वारा अधिकारिक सील से इस प्रकार सील किया जायेगा, कि सील में छेड़छाड़ किये बिना उसे हटाना सम्भव न हो।
12. परिवहन यान का स्वामी या चालक सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की लिखित अनुमति के बिना परिवहन विभाग की अधिकारिक सील में छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्रत्येक यान का मरम्मत के प्रत्येक कार्य का पृथक अभिलेख

- रखा जायेगा, जिसे परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों की मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।
13. सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक द्वारा गति नियंत्रक युक्त प्रत्येक यान का अभिलेख रखा जायेगा, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा प्रतिमाह परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।
 14. यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गति नियंत्रक की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य उसके विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्यशाला में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाये।
 15. परिवहन यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन करते समय यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गति नियंत्रक में लगायी गयी सील अक्षत है। यदि किसी समय सक्षम प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि वाहन की किसी सील में छेड़छाड़ किया गया है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व यान चालक व स्वामी का होगा और उसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा। इसके साथ ही सक्षम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मामला सम्बन्धित सचिव, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को भी सूचित किया जायेगा जो कृत्य की गम्भीरता को देखते हुये सचिव, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यान के परमिट को रद्द या निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।
 16. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी सक्षम प्रवर्तन अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि गति नियंत्रक की सील अक्षत रहते हुये यान विहित गति सीमा से अधिक गति पर चलाया जा रहा है, तो वह चालक या स्वामी को यान को सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक को यान की गतिसीमा मापने हेतु परीक्षण/निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये लिखित निर्देश देगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये उसे निष्प्रभावी बनाने के लिये कोई तकनीकी व्यवस्था की गयी है तो उसे इस अधिसूचना के आशय का उल्लंघन समझा जायेगा और चालक या स्वामी या दोनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।
 17. जहाँ सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से गति नियंत्रक की मरम्मत करने की अधिकारिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो चालक और वाहन स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान में जब तक अधिकारिक सील न लगायी जाये तब तक कोई सवारी नहीं ले जायी जायेगी। उक्त अवधि में चालक द्वारा यान

के अगले और पिछले भाग में बोर्ड पर लाल रंग से यह प्रदर्शित किया जायेगा कि "यान बिना गति नियंत्रक के है"।

18. परिवहन यान के चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान के विंड स्क्रीन के तल में बाँयी ओर सफेद रंग से तीन सेंटीमीटर ऊँचाई व समुचित मोटाई के अक्षरों में यह प्रदर्शित हो कि "ए0आईएस0:018 मानक के अनुरूप गति नियंत्रक लगा है"।


(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव

(241)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. _____ dated _____ for general information.

Uttarakhand Shashan
Transport Section-1
No. 95/ix-1/33(2013)/2016
Dehradun, Dated: 31 January, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor, hereby notify that the transport vehicles registered prior to the 1st October 2015, which are covered by sub rule (1) of above mentioned rule and are not exempted by the first proviso of sub rule (1) above, shall be fitted by the operators of those vehicles on or before 31st January, 2017 with a speed governor conforming to the standard AIS:018/2001 as amended from time to time with supersede the notification dated 1st April, 2014.

1. All transport vehicles registered prior to 1st October 2015 shall be fitted with a speed governor having maximum pre-set speed of 80 kilometres per hour.
2. All transport vehicles carrying hazardous goods and transport vehicles such as dumper, tanker, school bus and city bus, registered prior to the 1st October, 2015 shall be fitted with a speed governor having maximum pre-set speed of 60 kilometre per hour.
3. These provisions shall not be applicable on the vehicles already fitted with speed governor conforming to the the standard AIS:018/2001.
4. The speed governor, other than those which controls the speed of the vehicles by an electronic control unit, shall be sealed with

✓

the seal of the concerned Regional Inspector of Transport Department Uttarakhand.

5. The vehicle fitted with speed governor shall not be driven above the maximum speed limit notified/specified by Transport Section-1 Notification no. 52/ix/424/2009, dated 30 January, 2009 as amended from time to time.
6. The manufacturer of the speed governor shall obtain the type approval certification conforming to AIS : 018/2001 standards from any of the authorised testing agency specified under rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
7. The manufacturer or dealer of speed governor shall emboss/engrave the registration mark of the vehicle on the speed governor while fitting it in transport vehicle so that the same could not be used for another transport vehicle.
8. The speed governor shall be fitted as per the makes/models approved by the Commissioner, Transport Department, Uttarakhand on the basis of the type approval certificate issued by testing agencies authorized by Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
9. The manufacturer shall ensure availability of the speed governor/spare parts thereof. The manufacturer/authorised dealer would issue installation certificate with company hologram and shall submit monthly report before tenth of every month to the concerned registering authority.
10. After the fitment of particular make/model/variant of speed governor of particular make/model/variant of vehicle duly approved by testing agency it shall be sealed at all the sealing points by the official seal of Transport Department Uttarakhand by the Regional Inspector.

V


11. Any repair work of speed governor which leads to tempering of official seal shall be carried out with the prior written permission of the concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). After carrying the desired repair work the speed governor, it shall again be fitted by owner of such vehicle in such a manner that it conforms to AIS:018/2001 standard as amended from time to time and it shall again be sealed by the concerned Regional Inspector in such a way that it cannot be removed or tempered without the seal being broken.
12. The owner or driver of the transport vehicle shall not temper with the official seal of the Transport Department without permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration). The record of each repair work shall be maintained for each vehicle separately and shall be produced before the competent authorities on demand.
13. The concerned Regional Inspector shall maintain records of each vehicle fitted with speed governor and shall send its monthly report to the Transport Commissioner.
14. The driver and owner of the vehicle shall ensure that the repair and maintenance work of the speed governor shall be carried out at the workshop authorised by its manufacturer and by trained personal.
15. The owner and driver of the transport vehicle while driving it in public place shall ensure that the seal put on the speed governor in his vehicle is intact. If it is found by the competent enforcement officer at any time that any seal of the speed governor has been tempered with, the entire responsibility of it shall lie on the driver/owner of the vehicle and he shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988. Simultaneously, the competent enforcement officer shall report the matter to the concerned Secretary, State/Regional Transport Authority who

shall initiate the proceedings of cancellation or suspension of the permit of the vehicle as per the gravity of the act.

16. Notwithstanding anything contained in this notification, the competent enforcement officer who has reason to believe that despite the seal of the speed governor found intact, the vehicle is plying at a higher speed than the prescribed speed, he may in writing direct the driver or owner to submit the vehicle for conducting the test/ inspection to concerned Regional Inspector to measure the speed limit. If it is established that despite the seals being intact some technical arrangement has been made to make the speed governor ineffective then it shall be considered the violation of the spirit of this notification and the driver or the owner or both shall be prosecuted under section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988.

17. Where official permission from concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration) has been obtained to carry out repair work, the driver and the owner shall ensure that no passenger shall be carried on the vehicle till official seal is again applied. During the intervening period the driver shall display a board on front and rear side of the vehicle indicating in red colour that "The vehicle is without speed governor".

18. The driver and owner of the transport vehicle shall ensure that the words, "speed governor conforming to AIS:018/2001 standard is installed" shall be painted on the bottom of the left side of the windscreen in white colour with letters of three centimetre height of appropriate thickness.


(C.S. Napalchyal)
secretary